



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU – 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1807 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1807**

**विषय/Sub: टर्बोनाईक्वायल 35एम / Turbonycoil 35M**

यह घोषित किया जाता है कि नियंत्रक विनिर्देश सं.: डीईएफ एसटीएएन 91-98/2 हेतु मेसर्स एवी ऑइल इंडिया (पी) लिमिटेड, द्वारा आईओसीएल, 608, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001, उनके पियाला विलेज स्थित प्लांट, फरीदाबाद जिला, हरियाणा – 121 102 द्वारा उत्पादित एवं आपूर्तित "टर्बोनाईक्वायल 35एम" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1807, दिनांक 17 दिसंबर 2013, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1807 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

*This is to state that the "Turbonycoil 35M", to the Governing Specification No.: DEF STAN 91-98/2 manufactured and supplied by M/s AVI Oil India (P) Ltd., C/o. IOCL, 608, Surya Kiran building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001, from their plant situated at Piyala Village, Faridabad District, Haryana - 121 102 was issued with Type Approval No.: 1807 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1807, dated: 17<sup>th</sup> December 2013 with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थागित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा। यह संशोधन सहित नवीकरण पूर्व जारी की गई वर्ग अनुमोदन - 1197 को अधिरेखित करता है।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, Bengaluru - 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any and its cause. This renewal cum amendment supercedes earlier issued TA - 1197.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1807, दिनांक 17 दिसंबर 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1807, dated: 17<sup>th</sup> December 2013 is amended as stated herewith.


“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”


“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1807/1R  
दिनांक / Date: 21 January 2019  
फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

 HR  
21/1/19

  
पी . जयपाल/ P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)